

1  
#6  
J

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री राजेश जोशी  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

67/प्रा0पत्र/2019

09.07.2019

16.07.2019

मोहन लाल कुमावत आ. चेताराम जाति कुमावत निवासी विकास नगर  
जिला बून्दी (राज.) - प्रार्थी

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से - श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक।

-: निर्णय :-

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646-649/रीडर/2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी मोहन लाल कुमावत आ. चेताराम जाति कुमावत निवासी विकास नगर जिला बून्दी (राज.) ने जयें अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता द्वारा दिनांक 02.07.2019 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी ने जिला न्यायाधीश, बून्दी में दीवानी वाद सं.-18/2014 उनवान मोहन लाल बनाम चौथमल वगै. में लोक अदालत की भावना से जयें राजीनामा निर्णय हुआ है। जिसमें कोर्ट फीस वादी को वापिस लोटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः कोर्ट फीस स्टाम्प की राशि वापिस प्रार्थी को लोटाई जावे। इस संबंध में जिला न्यायाधीश, बून्दी, ने प्रमाण पत्र सं. 947 दिनांक 13.06.2019 द्वारा जारी किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 40,000/- रुपये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। अतः मोहन लाल कुमावत चेताराम जाति कुमावत निवासी विकास नगर जिला बून्दी (राज.) को फीस राशि 40,000/- रुपये का भुगतान किया जावे।

र

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी के पत्र सं. 947 दिनांक 13.06.2019 से प्रार्थी को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 40,000/- रुपये (अक्षरे-चालीस हजार रुपये) लौटाने के आदेश दिये गये हैं। न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 5,000/- रुपये के 08 नग, स्टाम्प नम्बर 067020 से 067027 तक, कुल नग 08, कुल स्टाम्प राशि 40,000/-रु0 राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूएशन रूल्स 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 40,000/- रुपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 2500/- रु0 की कटौती करते हुये शेष राशि 37,500/-रुपये (अक्षरे-सैतीस हजार पाँच सौ रुपये) का भुगतान प्रार्थी मोहन लाल कुमावत आ. चेताराम जाति कुमावत निवासी विकास नगर जिला बून्दी (राज.) को करने की स्वीकृति दी जाती है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बून्दी (राज0)